

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या-636/2015/181(120)/XXVII(8)/08
देहरादून:: दिनांक 23 जुलाई, 2015


अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपात्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II (ख) एवं अनुसूची-I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

- 1- अनुसूची II (ख) के क्रमांक 13 पर अंकित माल की प्रविष्टि विलोपित समझी जायेगी।
- 2- अनुसूची-I के क्रमांक 71 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
71	आटा, मैदा, सूची, बेसन एवं दलिया	करमुक्त



(रविश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।


संख्या-636/2015/21(110)XXVII(8)/15, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।


.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

4144
24/7/15

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 630/2015/181(120)/XXVII(8)/2008 dated 23 July, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 630/2015/181(120)/XXVII(8)/2008
Dehradun :: Dated: : 23 July, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the amendment is Schedule-II(B) and Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act.

Amendment

1 In Schedule-II(B) the goods specified at serial No. 13 shall be deemed deleted.

2 In Schedule I, for the existing entry at serial no 71 the following entry shall be substituted, namely-

Sr NO.	Description of goods	Rate of Tax
71	Atta, Maida, Suji, Besan and Dalia	Exempt


(Rakesh sharma)
Additional chief Secretary.